न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
सभाष कुमार चितावा		खेताराम वगैरह चितावा
राजस्व प्रार्थना–पत्र 43/2017		GCMS No. 2017/00047

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलिंयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
4.7.2022	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि ग्राम ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 1561/704, 1562/704, 833, 834, 800, 801, 1320/701में दिनॉक 18.09.2017 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रश्नगत भूमि में विवाद पैतृक भूमि को लेकर है तथा अप्रार्थी नारायणराम पुत्र लालूराम जो प्रार्थीगण के दादा है उसको बेचान इत्यादि नही करने बाबत वाद विचाराधीन है, अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से उपरोक्त भूमि के अन्य खातेदार भी प्रभावित हो रहे है। ऐसी स्थिति में केवल प्रार्थीगण के हिस्से को लेकर अन्य सहखातेदारान को न्यायिक दृष्टिकोण से पांबद किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसी क्रम में इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 80/2021 गणेशराम बनाम प्रकाशचन्द वगैरह में जारी डिक्री आदेश दिनॉक 24.03.2022 की ओर प्रार्थी वकील ने ध्यान आकर्षित कर अवगत कराया कि बेवजह सहखातेदार परेशान हो रहे है अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर विचार कर न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आदेश पारित करने का श्रम करावे। प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है। इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 18.09.2017 ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 1561/704, 1562/704, 833, 834, 800, 801, .1320/701 में अप्रार्थी खातेदार नारायणराम पुत्र लालूराम के हिस्से तक स्वीकार की जाकर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को पाबंद किया जाकर टी.आई आदेश ता–फैसला वाद पुख्ता किया जाता है व शेष सह–खातेदारों के हिस्से तक स्थगन आदेश खारिज किया जाता है तहसीलदार कुचामनसिटी एवं उप पंजियक कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार पालना करे तथा शेष खातेदारान के हिस्से का जमाबंदी में अंकित नोट हटाया जावे। तथा इस न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार डिक्री की पालना भी सुनिश्चित की जावे। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	